डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिकविश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश, लखनऊ–226031

कार्यपरिषद की 31वीं बैठक की कार्यवृत्त

बैठक संख्या	:	31वीं बैठक
दिनांक	:	11.12.2017
दिन	:	सोमवार
समय	:	पूर्वान्ह 11:00 बजे
स्थान	:	मालवीय सभाकक्ष, डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ

डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0, लखनऊ की कार्यपरिषद की दिनांक 11.12.2017 को पूर्वान्ह 11.00 बजे सम्पन्न हुई 3 वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:–

1.	प्रो0 विनय कुमार पाठक मा0 कुलपति डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।	अध्यक्ष
2.	प्रो0 कैलाश नारायण उपाध्याय प्रति कुलपति, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।	सदस्य
3.	डॉ0 शिशिर सिन्हा निदेशक –प्रतिनिधि आई0आई0टी0, रूडकी।	सदस्य
4.	प्रो0 एस0 के0 अवस्थी पूर्व निदेशक, एच0बी0टी0आई0, कानपुर एवं नामित सदस्य–अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।	सदस्य
5.	श्री भानु प्रताप सिंह प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा नामित सदस्य ए0के0टी0यू0, लखनऊ।	सदस्य
6.	(पदमश्री) प्रो0 सैयद इकबाल हसनैन पूर्व आचार्य, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली।	सदस्य
7.	श्री कुलदीप बाबू अनु सचिव, सचिव–प्रतिनिधि, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 शासन।	सदस्य
8.	प्रो0 जे0पी0 पाण्डेय निदेशक, के0एन0आई0टी0, सुल्तानपुर	सदस्य
9.	श्री भानु प्रताप सिंह वित्त अधिकारी, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।	विशेष आमंत्री

10. प्रो0 एच0के0 पालीवाल — विशेष आमंत्री
निदेशक,
आई0ई0टी0, लखनऊ।

11. प्रो0 एस0पी0 शुक्ला — विशेष आमंत्री
समन्वयक टेक्यूप–तृतीय
ए0के0टी0यू0, लखनऊ।

12. प्रो0 वंदना सहगल — विशेष आमंत्री
अधिष्ठाता/प्राचार्य
वास्तुकला संकाय, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।

13. श्री ओम प्रकाश राय — सदस्य/सचिव
कुलसचिव,
डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।

बैठक में अपरिहार्य कारणों से निम्नोक्त सदस्य उपस्थिति नही हो सके।

1. प्रो0 शांतनु भट्टाचार्य, — सदस्य
निदेशक, द्वारा नामित सदस्य
आई0आई0टी0, कानपुर

2. श्री दिनेश अग्रवाल — सदस्य
फाउन्डर एण्ड सी0ई0ओ0
इण्डिया मॉर्ट, दिल्ली

3. श्री अजय चौधरी — सदस्य
प्रबन्ध निदेशक,
साफ्ट प्रो इंण्डिया टेक्नो0, लखनऊ।

4. प्रो0 एस0जी0 धाण्डेय — सदस्य
पूर्व निदेशक,
आई0आई0टी0, कानपुर।

5. डा0 डी0के0 सिंह — सदस्य
निदेशक,
राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, आजमगढ़।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थिति सभी सदस्यों का स्वागत किया गया एवं कार्यपरिषद के सम्मानित सदस्यों को कार्यपरिषद के नये सचिव सह विश्वविद्यालय के कुलसचिव से परिचय कराने के उपरान्त बैठक में व्यस्तता के कारण अनुपस्थिति रहे सदस्यों को अवकाश स्वीकृति करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अपेक्षा की गयी। अध्यक्ष महोदय की अनुमति उपरान्त कार्यसूची में सम्मिलित औपचारिक बिन्दुओं पर विचार विमर्श प्रारम्भ हुआ।

मद संख्या 31.01 **विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की दिनांक 22.08.2017 को सम्पन्न 30वीं बैठक के कार्यवृत्त अनुमोदन पर विचार।**

सचिव, कार्यपरिषद द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यपरिषद की 30वीं बैठक का कार्यवृत्त विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ए0के0टी0यू0/कुस0का0/का0परिषद/2017/4480 दिनांक 04.09.2017 के साथ संलग्न कर कार्यपरिषद के सभी मा0 सदस्यों को प्रेषित किया गया था। कार्यवृत्त के अंकन के संदर्भ में कोई टिप्पणी या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। इस परिप्रेक्ष्य में कार्यपरिषद द्वारा दिनांक 22.08.2017 को सम्पन्न कार्यपरिषद की 30वीं बैठक के प्रस्तुत कार्यवृत्त पर अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाहीः कुलसचिव कार्यालय)

मद संख्या 31.02 **कार्यपरिषद की दिनांक 22.08.2017 को सम्पन्न हुई 30वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही का विवरण।**

सचिव कार्यपरिषद की दिनांक 22.08.2017 को सम्पन्न हुई 30वीं बैठक में लिए गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही से परिषद को अवगत कराया गया। कार्यपरिषद द्वारा कृत कार्यवाही पर चर्चा के उपरानत संतोष व्यक्त करते हुए अपेक्षा की गयी कि,

1. एच0बी0टी0आई0,कानुपर संप्रति एच0बी0टी0यू0, कानपुर के उप कुलसचिव जो वर्तमान में विश्वविद्यालय में सेवा स्थानांतरण के आधार पर उप कुलसचिव के पद पर कार्यरत हैं, को ए0के0टी0यू0, लखनऊ में समायोजित करने के संदर्भ में शासन को प्रेषित प्रस्ताव पर प्राथमिकता पर आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया जाए।

2. पंडित दीन दयाल उपाध्याय गुणवत्त सुधार योजना के अन्तर्गत स्वीकृति अनुदान के उपयोग की दैनन्दिक आधार पर अनुशीलन का दायित्व जो वर्तमान में प्रोफेसर मनीष गौड़, निदेशक, सेन्टर फार एडवांस स्टडीज, लखनऊ द्वारा निष्पादित किया जा रहा है, के वर्तमान दायित्वों को देखते हुए कार्यपरिषद द्वारा निदेश दिया गया कि तात्कालिक प्रभाव से उक्त कार्य डॉ0 राजीव कुमार सिंह, सहायक कुलसचिव द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

3. विश्वविद्यालय के हित धारकों एवं जन सामान्य को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पूर्ण रूपेण कार्यशील काल सेन्टर की स्थापना की विस्तृत परियोजना निर्धारित करने के लिए निम्नोक्त समिति,

1. प्रति कुलपति, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
2. प्रो0 मनीष गौड़, निदेशक, सेन्टर फार एडवांस स्टडीज, लखनऊ।
3. प्रो0 विनीत कंसल, अधिष्ठाता, यू0जी0,ए0के0टी0यू0, लखनऊ।

गठित कर अपेक्षा की गयी कि समिति अपना प्रस्ताव विलम्बतम 31 दिसम्बर, 2017 तक उपलब्ध करा दे।

4. श्री यू0एस0 तोमर जिन्हें माननीय राज्य पाल महोदय द्वारा विश्वविद्यालय की सेवा से हटाये जाने के निर्देश दिये गये हैं, उनके संबंध में विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के घटक संस्थानों से देयता की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

5. शासन के पत्र संख्या 2612–सोलह–1–2016–109/95 दिनांक, 28 जुलाई, 2016 में निहित निर्णय पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.04.2017 को पारित अपने अनन्तिम आदेश में की गयी टिप्पणी के आलोक में शासन को उक्त निर्णय को निरस्त करने के संदर्भ में अनुस्मारक प्रेषित किया जाए।

6. विश्वविद्यालय के घटक संस्थान आई0ई0टी0, लखनऊ के विभिन्न शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पदों पर निकट भविष्य में हुई नियुक्तियों के कम में यदि किसी चयनित अभ्यर्थी द्वारा पदभार नहीं ग्रहण किया गया है या कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त त्याग पत्र दे दिया गया है तो उक्तानुरूप रिक्त हुए पद पर, चयन समितियो की संस्तुतियों के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदित पैनल जो सत्रांत अर्थातृ 30जून, 2018 तक के लिए वैध है, में से अगले कम पर अनुमोदित अभ्यार्थी को नियुक्त पत्र जारी किया जाए।

(कार्यवाहीः कुलसचिव कार्यालय)

मद संख्या 31.03 **विद्यापरिषद की दिनांक 05.12.2017 को सम्पन्न हुई 54वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन।**

कार्यपरिषद द्वारा कार्यसूची के विषय बिन्दु के अन्तर्गत प्रस्तुत विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद की दिनाँक 05.12.2017 को सम्पन्न हुई 54वीं बैठक के कार्यवृत्त पर परिशीलनोपरान्मत अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाहीः उप कुलसचिव)

मद संख्या 31.04 **वित्त समिति की दिनांक 05.12.2017 को अपरान्ह सम्पन्न हुई 49वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही का विवरण।**

कार्यपरिषद द्वारा कार्यसूची के विषय बिन्दु के अन्तर्गत पटल पर प्रस्तुत विश्वविद्यालय की वित्त समिति की दिनाँक 05.12.2017 को सम्पन्न हुई 49वीं बैठक के कार्यवृत्त को परिशीलनोपरान्त अनुमोदित करते हुए निदेशित किया कि,

1. विश्व बैंक पोषित टेक्युप परियोजना (तृतीय चरण) की गतिविधियों के संबंध में की गयी यात्रा की व्यय प्रतिपूर्ति, विश्व बैंक की यात्रा व्यय प्रतिपूर्ति संबंधी आदेशों के अनुरूप अनुमन्य होगी।
2. विश्व बैंक की तृतीय चरण की गतिविधियों से संबंधित बैठक में प्रतिभाग करने वाले विशेषज्ञों एवं शिक्षकों को विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित दरों पर मानदेय दिया जाएगा।

(कार्यवाहीः वित्त अधिकारी)

मद संख्या 31.05 **वित्त वेतन आयोग अनुभाग के शासनादेश संख्या 9/2016/वे0आ0–2–201/दस–2016–8(मु0स0स0)/2011टी0सी0, दिनांक 24.02.2016 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में नियमित किये गये कर्मचारियों की सेवाये जोड़े जाने के सम्बन्ध में।**

सचिव कार्यपरिषद द्वारा अगवत कराया गया कि वित्त वेतन आयोग के शासनादेश संख्या 9/2016/वे0आ0–2–201/दस–2016–8(मु0स0स0)/2011 टी0सी0, दिनांक 24.02.2016 में दी गयी व्यवस्था के अनुपालन में विश्वविद्यालय के 72 कर्मचारियों को दिनांक 30.03.2016 से विनियमित किया गया है। साथ ही, सचिव कार्यपरिषद द्वारा समिति को यह भी अवगत कराया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हबीब खान बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 23.08.2017 में याचिओं द्वारा वर्कचार्ज कर्मी के रूप में की गयी सेवा को सेवा निवृत्तिक लाभों की गणना में सम्मिलित करने के आदेश दिये हैं। परिषद को यह भी अवगत कराया गया कि इस संदर्भ में विनियमित कर्मियों को उनकी सेवा का लाभ उनकी मूल नियुक्ति की तिथि से प्रदान किये जाने का यह प्रस्ताव कार्यपषिद के विचारार्थ प्रस्तुत है। कार्यपरिषद द्वारा प्रकरण पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त पद सृजन एवं विनियमन के संबंध में आवश्यक स्वीकृति शासन से ही निर्गत किये जाने की स्थिति का संज्ञान लेते हुए निदेशित किया कि प्रकरण को प्रबल संस्तुति के साथ शासन के विचारार्थ प्रेषित किया जाए।

(कार्यवाहीः कुलसचिव कार्यालय)

मद संख्या 31.06 **विश्वविद्यालय के सेन्टर फार इनोवेशन एण्ड इनक्यूवेशन आफ स्टार्टप्स (सी0आई0आई0एस0) में नियुक्त परामर्शियों का कार्यकाल बढ़ाये जाने के संबंध में।**

कार्यपरिषद द्वारा प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त कार्यहित को देखते हुए परामर्शी द्वय श्री सृजन पाल सिंह एवं इंजीनियर अभिषेक नन्दन को कमशः दिनांक 25.08.2017 से 24.02.2018 तथा दिनांक 10.10.2017 से 09. 04.2018 का सेवा विस्तारण अनुमन्य किया गया। साथ ही, कार्यपरिषद की पूर्व बैठक में लिये गये निर्णय के कम में सेन्टर फार इनोवेशन एण्ड इनक्यूवेशन आफ स्टार्टप्स के सफलतापूर्ण संचालन के लिए 03 परामर्शियों के स्थान पर 05 परामर्शियों की नियुक्त एवं परामर्शियों को 03 माह के अधिकतम 03 सेवा विस्तारण अनुमन्य करने के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया। कार्यपरिषद द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि परामर्शियों की यह नियुक्ति दिनांक 28.03.2016 को सम्पन्न हुई कार्यपरिषद की 28वीं बैठक के मद संख्या 28.12 में लिये गये निर्णय के कम में की गयी नियुक्ति के अतिरिक्त होगी।

(कार्यवाहीः कुलसचिव कार्यालय)

मद संख्या 31.07 **रिट याचिका संख्या 45205 आफ 2017 विकम अग्रवाल, अनुकमांक 1402713119 के प्रकरण पर माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कम में विचार किये जाने के संबंध में।**

माननीय उच्च न्यायालय के अनन्तिम आदेश के आलोक में अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कालेज, गाजियाबाद के छात्र श्री विकम अग्रवाल, (अनुकमांक 1402713119) जिन्हें उपस्थिति कम होने के कारण संस्थान संस्थान की आख्या पर विगत शैक्षिक सत्र में डिटेन कर दिया गया था, का प्रकरण पूर्व में विद्यापरिषद की दिनांक 05.12.2017 को सम्पन्न हुई 54वीं बैठक के मद संख्या 54.06 में प्रस्तुत किया गया। विद्यापरिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रकरण को अस्वीकार कर दिया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय के निदेश के कम में प्रकरण पर सम्यक चर्चा एवं तद्संबंध में बी0टेक0 पाठ्यकम में प्रभावी आर्डिनेन्स के अनुच्छेद 3.3. "No student will be allowed to appear in the end semester examination if he/she does not satisfy the overall arverage attendance requirements of Clause No.s. 3.1 and 3.2 and such candidates(s) shall be treated as having failed and will be further governed by clause ni. 4.2 & 4.3" के आलोक में कार्यपरिषद का निर्णय है कि छात्र के तृतीय वर्ष के परीक्षा परिणाम को अनुत्तीर्ण घोषित करने का निर्णय

विश्वविद्यालय के नियम एवं उपनियमों के अनुसार है। इस पर पुनर्विचार का कोई औचित्य नहीं है। प्रकरण तद्नुसार निस्तारित माना जाए।

(कार्यवाहीः सहायक कुलसचिव)

मद संख्या 31.08 **विश्वविद्यालय के संस्थान सेन्टर फार एडवांस स्टडीज, लखनऊ एवं यू0पी0 इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाये जाने पर विचार।**

कार्यपरिषद द्वारा विश्वविद्यालय के संस्थान सेन्टर फार एडवांस स्टडीज, लखनऊ एवं यू0पी0 इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन, नोएडा के निदेशक पद पर कार्यरत अधिकारी का कार्यकाल, संस्थान के निदेशक पद पर स्थायी नियुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक बढ़ाये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाहीः कुलसचिव कार्यालय)

मद संख्या 31.09 **डॉ0 अम्बरीष शरण विद्यार्थी के प्रकरण पर विचार।**

विश्वविद्यालय के घटक संस्थान इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाली लखनऊ में, दिनांक 26.11.2014 से 25.11.2017 की अवधि में अनुबन्धात्मक आधार पर कार्यरत डॉ0 अम्बरीष शरण विद्यार्थी द्वारा अपने कार्यकाल के अन्तिम चरण में प्राथमिक जाँच के दृष्टिगत कार्यविरत किये जाने एवं इस क्रम में उनके द्वारा निदेशक पद पर नियुक्ति की अर्हता न पूर्ण होने एवं अन्य प्रशासनिक अनियमितताओं के संदर्भ में विभागीय जाँच के आदेश के कारण कार्यविरत रहने और कार्यविरत रहते हुए सेवा अनुबन्ध अवधि की समाप्ति के दृष्टिगत उन्हें कार्यमुक्त करने के संदर्भ में विचार कर उन्हें विभागीय जाँच के प्रक्रियाधीन रहते हुए एक वर्ष का कार्य विस्तारण अनुमन्य करने का अनुरोध अपने पत्र आई0ई0टी0–अ0श0वि0/2017–41, दिनांक 01 दिसम्बर, 2017 द्वारा कार्यपरिषद से किया गया है। कार्यपरिषद द्वारा डॉ0 विद्यार्थी के प्रतिवेदन एवं संबंधित अभिलेखों के सम्यक परिशीलन एवं प्रकरण पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि डॉ0 विद्यार्थी के प्रतिवेदन में निहित अनुरोध को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है एवं निदेशित किया कि डॉ0 विद्यार्थी का प्रतिवेदन तद्नुसार निस्तारित माना जाए।

(कार्यवाहीः कुलसचिव कार्यालय)

मद संख्या 31.10 **विश्वविद्यालय में वाई–फाई सुविधा उपलब्ध कराने एवं परिसर में उक्त सुविधा के सुचारू संचालन के लिए जी0बी0एम0 टावर की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय द्वारा रिलायन्स जिओ इन्फोकाम लिमिटेड, मुम्बई से किये गये अनुबन्ध पर कार्योत्तर स्वीकृति एवं सेन्टर फार एडवांस स्टडीज, लखनऊ में स्किल डेवलेपमेन्ट के उद्देश्य से फाइवर आप्टिक लैब की स्थापना के संदर्भ में किये जाने वाले अनुबन्ध के अनुमोदन पर विचार।**

सचिव कार्यपरिषद द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के परिसर में वाई–फाई सुविधा उपलब्ध कराने एवं उक्त सुविधा के सुचारू संचालन के लिए जी0बी0एम0 टावर की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय द्वारा रिलायन्स जिओ इन्फोकाम लिमिटेड, मुम्बई से विगत दिनों पृथक–पृथक अनुबन्ध, माननीय कुलपति महोदय की अनुमति के उपरान्त, उनके द्वारा हस्ताक्षरित किये गये हैं। परिषद द्वारा अनुबन्ध की उक्त कार्यवाही पर अपनी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

साथ ही, परिषद द्वारा स्किल डेवलेपमेन्ट के उद्देश्य से सेन्टर फार एडवांस स्टडीज में फाइवर आप्टिक लैब की स्थापना के लिए रिलायन्स जिओ इन्फोकाम लिमिटेड, मुम्बई एवं छात्रों और शिक्षकों के स्किल डेवलेपमेन्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम हेतु NASSCOM तथा इनोवेशन लैब इन आई0ओ0टी0 के सबंध में आर सिस्टम इन्टरनेशनल के साथ किये जाने वाले अनुबन्धों पर भी परिशीलनोंपरान्त अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

परिषद ने यह भी निदेश दिया कि भविष्य में शैक्षणिक एवं अवस्थापना सृजन संबंधी अनुबन्धों पर समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कुलपति महोदय की अनुमति से कुलसचिव सह सचिव, कार्यपरिषद द्वारा अनुबन्ध निष्पादित किये जायेंगे।

(कार्यवाहीः कुलसचिव कार्यालय)

मद संख्या 31.11 **आई0एस0एच0वी0एच0ई0–2018 के सह–आयोजक अंशदान के भुगतान पर विचार।**

सचिव कार्यपरिषद द्वारा परिषद को अवगत कराया गया कि खेसर ग्यालपो यूनिवसर्टी आफ मेडिकल सांइस आफ भूटान द्वारा ह्यूमन वैल्यू फार हायर एजूकेशन के विषय पर सातवीं अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयेाजित की जा रही है। विश्वविद्यालय उक्त संगोष्ठी के आयोजन में सम्मिलित है। आयोजन में प्रतिभाग के लिए रूपये 100000/– (रू0 एक लाख) का अंशदान भुगतान किया जाना है।

साथ ही पटल पर अवगत कराया गया कि New Frontier in Engineering/Science and Technology विषय पर सोसाइटी फार फैशन एण्ड

टेक्नोलॉजी द्वारा दिनांक 08.12.2018 को नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। इस आयोजन के स्ट्रेटजिक पार्टनर के रूप में कान्फ्रेन्सकिट स्पांसरशिप के लिए रू0 1,50000/–का अंश दान अपेक्षित है।

परिषद द्वारा उक्त दोनों आयोजनों के साथ विश्वविद्यालय की सम्बद्धता की प्रासंगिकता एवं उपयोगिता पर चर्चा के उपरान्त उक्त सहभागिता के लिए स्वीकृति के साथ देय अंशदान के भुगतान की अनुमति प्रदान की।

(कार्यवाहीः वित्त अधिकारी एवं अधिष्ठाता ह्यूमन वैल्यू)

मद संख्या 31.12 **विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता ह्यूमन वैल्यू के कार्यालय की स्थापना पर विचार।**

विश्वविद्यालय की शिक्षा में ह्यूमन वैल्यू की प्रासंगिकता एंव महत्व के दृष्टिगत परिषद द्वारा चर्चा उपरान्त अधिष्ठाता, ह्यूमन वैल्यू के कार्यालय की स्थापना के संदर्भ में विनियमावली के विनियम 3.40 के उपरान्त अधिष्ठाता ह्यूमन वैल्यू की नियुक्ति से संबंधित निम्नोक्त विनियम,

The Dan of Human Value)

3.41 The office of The Dean of Value Education shall be at the Universityity level as well as at the college level.

3.42 For the office of the Dean of Value Education at university level or college level:

(a) The Dean Of Value Education shall be appointed in rotation amongst the senior Professors in the Faculty of University or constituent autonomous, affiliated colleges or University institution having teaching experience of not less than ten years by the executive council on the recommendation of Vice-Chancellor .

(b) In case of non-availability of suitable candidate to act as Dean of Value Education, the executive council may fill the position by assigning the task to any other dean.

(c) The teachers who are appointed as dean value education shall act as The Dean Value Education in addition to his/her own duties.

(d) The term of the dean of office for The Dean of Value Education shall be three years unless determined earlier by the executive council or his/her retirement whichever is earlier . No person shall continue to be The Dean of Value Education after he/she has ceased to hold the post by virtue of which he/shecame to hold the office of the dean.

3.43 The powers and functions of " The Dean of Value Education" shall be as follows:

(a) The Dean of Value education shall hold the meeting of value education cell of university and at college level.

(b) He / She shall give the direction to value education cell and take necessary measures for effective implementation of value educating in university as well as constituent colleges.
(c) He/ She shall be responsible for bringing the financial and other needs of the members of value education cell to the notice of Vice – Chancellor.
(d) He/ She shall have right to present and speak at any meeting of Board of Studies.
(e) He/ She shall have continuously study and prepare a progress report regarding status of value education in university as well as at college level.
(f) He/ She shall prepare requirement allocation and reallocation of teachers in different areas and allocate them as per requirement.
(g) He/ She shall have look after the welfare aspect of teachers pertaining in value education.

को जोड़ने पर अपनी अनुमति प्रदान की।

(कार्यवाहीः कुलसचिव कार्यालय)

मद संख्या 31.13 माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से अन्य मद।

31.13.01 राज्य प्रवेश परीक्षा 2018 के आयोजन एवं काउंसलिंग हेतु केन्द्रीय प्रवेश समिति के गठन पर कार्योत्तर अनुमोदन।

शासन के आदेश संख्या 4299/सोलह–1–2017–14(54)/2012, दिनांक 06.12.2017 द्वारा राज्य प्रवेश परीक्षा 2018 के आयोजन एवं काउंसलिंग का दायित्व विश्वविद्यालय को सौपे जाने के निर्णय के क्रम में इस आयोजन हेतु विश्वविद्यालय के आदेश संख्या ए0के0टी0यू0/कुस0का0/स्था0/2017/6850–54, दिनांक 10.12.2017 द्वारा गठित केन्द्रीय प्रवेश समिति पर चर्चा उपरान्त परिषद द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कार्यवाहीः कुलसचिव कार्यालय)

31.13.02 विश्वविद्यालय द्वारा प्रासांगिक विषयों पर व्याख्यान माला के आयोजन पर विचार।

कार्यपरिषद के माननीय सदस्य पदमश्री सैयद इकबाल हसनैन द्वारा प्रस्तावित किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा सतत आधार पर व्याख्यानों माला की व्यवस्था की जाए, जिस पर प्रासांगिक विषयों पर ख्यातिलब्ध विद्वानों के व्याख्यानों की व्यवस्था की जाए और यथा सम्भव विश्वविद्यालय

द्वारा अपने समस्त सम्बन्धित संस्थानों में इन व्याख्यानों की वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था की जाए। परिषद द्वारा माननीय सदस्य के इस प्रस्ताव की ग्रहता को स्वीकार करते हुए अपेक्षा की गयी कि विश्वविद्यालय द्वारा व्याख्यान माला का आयोजन यथाशीघ्र प्रारम्भ किया जाए। साथ ही यह भी अपेक्षा की गयी कि, प्रयास किया जाए कि त्रैमासिक आधार पर यह आयोजन अनिवार्य रूप से आहूत हो।

(कार्यवाहीः अधिष्ठाता यू0जी0 एवं अधिष्ठाता पी0जी0)

31.13.03 **विभिन्न सांस्कृतिक एवं क्रीडोत्सव के अवसर पर विश्वविद्यालय कुलगीत के गायन व्यवस्था पर विचार।**

परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले विभिन्न सांस्कृतिक एवं क्रीडोत्सव के आयोजनों में विश्वविद्यालय के कुलगीत की परंपरा पर विचार हुआ। कार्यपरिषद के सदस्यों का अनुभव इस परंपरा के संबंध में था कि विश्वविद्यालय का कुलगीत कई छन्दों में विस्तारित होने के कारण औपचारिक अवसरों पर इसके प्रथम एवं अन्तिम छन्द का गायन होना चाहिए। कार्यपरिषद ने सर्वसम्मति से उक्त पर अपनी सहमति व्यक्त की।

(कार्यवाहीः कुलसचिव एवं अधिष्ठाता स्टूडेन्ट वेलफेयर)

बैठक अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

27/12/17.

(ओम प्रकाश राय)
कुलसचिव

(प्रो0 विनय कुमार पाठक)
कुलपति